



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।

Website-<http://pwd.uk.gov.in>E-Mail-eicpwduk@nic.inपत्रांक- 122/01सेवा का अधिकार/19
सेवा में,

दिनांक- 15/02/2019

मुख्य आयुक्त,
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार,
आयोग 39/1 सहस्रधारा रोड़,
देहरादून।

विषय:- सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत समयबद्ध सेवायें प्रदान किये जाने हेतु अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- शासकीय पत्र संख्या-260/111(1)/19-74(अधि0)/11 दिनांक-08.02.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासकीय पत्र द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत 06 सेवाओं की सूची सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित करते हुये विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के अन्तर्गत 06 सेवाओं की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए सूचना सेवा में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
संलग्न-06 सेवाओं की सूची।
2. अपर सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-। उत्तराखण्ड शासन को शासकीय पत्र दिनांक-08.02.2019 के क्रम में सूचनार्थ ।
3. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि 06 सेवाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।


11T
upload in
16-02-19
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

15-2-19
मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय)

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 17.05.2018 को मुख्य आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार संशोधित प्रस्ताव की सूची

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1-ठेकेदारों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।					
	(i) श्रेणी 'A'	प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)	03 माह	वरिष्ठ स्टाफ आफिसर	मुख्य अभियन्ता स्तर- I(MU0)
	(ii) श्रेणी 'B'	प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)	03 माह	मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय) (सम्बन्धित)	मुख्य अभियन्ता स्तर- I(MU0)
	(iii) श्रेणी 'C'	प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)	03 माह	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता (सम्बन्धित)
	(iv) श्रेणी 'D'	प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)	03 माह	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता (सम्बन्धित)
2-	रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत N.O.C प्रदान करना।	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	01 माह	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
3-	विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं / व्यक्तियों को सड़क खोदने की अनुमति देना (वाटर पाईप लाईन / सीवर लाईन इत्यादि हेतु)	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	07दिन	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
4-	नव निर्मित मोटर मार्गों का परिवहन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण करना।	अधिशाली अभियन्ता (सम्बन्धित)	03 माह	अधीक्षण अभियन्ता	(क्षेत्रीय) मुख्य अभियन्ता
5-	मोटर मार्ग पर गड्ढों एवं पौट होल्स को स्थानीय निर्माण सामग्री (यथा मिट्टी एवं पत्थर) से समतल करना।	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	48 घण्टे	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
6-	मोटर मार्ग पर ट्रेफिक को बाधित करने वाली निर्माण सामग्री को हटवाना।	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	03 दिन	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता


 (आर०सी० प्रसहित)
 प्रभारी प्रमुख अभियन्ता